भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2393

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का आवंटन

2393. श्री मलविंदर सिंह कंग:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक राष्ट्र एक उर्वरक पहल के अंतर्गत पंजाब में विगत तीन रबी और खरीफ मौसमों के दौरान ''भारत'' ब्रांड के यूरिया, डीएपी और एनपीके सहित आपूर्ति किए गए उर्वरकों का वास्तविक खपत की तुलना में वर्ष-वार आवंटन कितना है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान पंजाब के लिए जारी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) और छोटे और सीमांत किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्य के शिवालिक और सीमावर्ती जिलों से इलेक्ट्रॉनिक प्वांइट ऑफ सेल मशीनों के अनिवार्य उपयोग से संबंधित आपूर्ति/लेनदेन संबंधी कोई समस्याएं सामने आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी हेतु प्रोत्साहित करने और सब्सिडी वाले उर्वरकों की अंतिम छोर तक आपूर्ति में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए धरती मां की बहाली, जागरूकता पैदा करना, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान पंजाब राज्य में यूरिया, डीएपी और एनपीके की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान पंजाब राज्य में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख) और (ग): 'उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)' प्रणाली के तहत, लाभार्थियों को प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर की गई

वास्तविक बिक्री पर उर्वरक का उत्पादन/आयात करने वाली कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। तदनुसार, पंजाब राज्य के किसानों सहित सभी किसानों को बिना किसी मनाही के आधार पर सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरक की आपूर्ति की जा रही है। धनराशि का आवंटन या संवितरण जिला-वार या राज्य-वार तरीके से नहीं किया जाता है। तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम (स्वदेशी पीएंडके और आयातित पीएंडके) के तहत किए गए कुल व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	**सब्सिडी स्कीम**		**सकल योग**
	आयातित पीएंडके	**स्वदेशी पीएंडके**	
2022-23	36032.56	50089.67	86122.23
2023-24	28929.57	36270.00	65199.57
2024-25	18800.00	34010.00	52810.00
सकल योग	**83762.13**	**120369.67**	**204131.80**

इसके अलावा, पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के शिवालिक और सीमावर्ती जिलों से इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों के अनिवार्य उपयोग को लेकर आपूर्ति/लेनदेन संबंधी कोई मामला सामने नहीं आया है।

(घ): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को अनुमोदित किया। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के संधारणीय और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का सहयोग करना है। सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को पीएम-प्रणाम स्कीम के अंतर्गत लाया गया हैं। पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की औसत खपत की तुलना में, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में इनकी खपत में कमी लाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के समतुल्य है। कुल अनुदान में से 95% राज्यों को दिया जाएगा, जबकि शेष 5% का उपयोग निगरानी, आईईसी, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और पुरस्कार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

पीएम-प्रणाम स्कीम को रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाने से होने वाली उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाता है। पीएम-प्रणाम स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुदान के उपयोग के साथ कार्य योजना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बाद के वर्षों के लिए अनुदान पिछले अनुदानों के उचित उपयोग पर आधारित होते हैं। संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आज तक कोई प्रोत्साहन राशि संवितरित नहीं की गई है।

इसके अलावा, पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, कृषि विभाग, पंजाब ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है। किसानों को उर्वरक के उचित अनुप्रयोग की पद्धतियों, जिनमें जहां आवश्यक हो वहां हरित खाद और जिप्सम के अनुप्रयोग के लाभ भी शामिल हैं, के बारे में शिक्षित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम किसानों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है, और किसानों को उनकी मिट्टी की विशिष्ट स्थिति के आधार पर उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में सलाह देने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं।

इसके अलावा, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए राज्य में ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक उर्वरकों के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2393 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

पंजाब													
उर्वरकों की मौसम वार (खरीफ और रबी) आवश्कयता, उपलब्धता तथा खपत													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	मौसम	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत
1	खरीफ 2025	14.92	19.19	15.94	2.85	3.86	2.36	0.50	0.70	0.32	0.50	1.27	0.66
2	रबी 2024-25	15.00	19.47	15.30	4.50	4.24	3.86	0.50	0.73	0.37	1.50	1.29	0.97
3	खरीफ 2024	11.50	21.02	17.27	3.60	3.74	2.75	0.50	0.69	0.34	1.00	1.03	0.44
4	रबी 2023-24	14.75	20.77	14.10	5.00	3.89	2.90	0.35	0.35	0.22	1.20	0.69	0.41
5	खरीफ 2023	14.73	19.11	16.58	3.00	4.99	4.34	0.50	0.48	0.27	0.30	0.62	0.32
6	रबी 2022-23	14.75	20.12	14.68	5.00	5.43	4.15	0.40	0.30	0.21	1.20	0.53	0.40
7	खरीफ 2022	14.50	18.34	14.77	2.25	4.03	3.02	0.50	0.39	0.19	0.50	0.33	0.18

उर्वरकों की वर्ष वार आवश्यकता उपलब्धता और खपत												
क्र.सं.	वर्ष	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत
1	2024-25	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41
2	2023-24	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	0.85	0.62	0.50	1.50	1.02	0.73
3	2022-23	29.25	34.90	29.45	7.25	8.46	7.17	0.90	0.49	0.41	1.70	0.71	0.58

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता >आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीय संकेतक: उपलब्धता >खपत